

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
कार्यालय आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद सम्बन्धी पूर्व में विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश यदि कोई हो तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन प्रखंड/स्थान/जिला	पदस्थापित प्रखंड/स्थान/जिला
1	श्री हरिशरण पाण्डेय	भोजपुर	हनुमान नगर, दरभंगा	पटना, अनुभाजन
2	श्री जयनेन्द्र कुमार	पटना	दाउदनगर, औरंगाबाद	दलसिंहसराय, समस्तीपुर
3	श्री कमल किशोर प्रसाद	पटना	शिवसागर, रोहतास	अनुभाजन, पटना
4	श्री संतोष कुमार	सारण	मुसहरी, मुजफ्फरपुर	राधोपुर, वैशाली
5	श्री अमर नाथ सिंह	मुजफ्फरपुर	कृत्यानंदनगर, पूर्णिया	नौबतपुर, पटना
6	श्री शकल शहजाद	पटना	मटिहानी, बेगूसराय	मुसहरी, मुजफ्फरपुर
7	श्री यादव लाल राम	पूर्वी चम्पारण	रूपौली, पूर्णिया	बैरगनिया, सीतामढ़ी
8	कुमारी अंजू	पटना	झंझारपुर, मधुबनी	पटना, अनुभाजन
9	श्री श्यामसुन्दर साहु	मधेपुरा	तेघड़ा, बेगूसराय	सबौर, भागलपुर
10	श्री बलिराम सिंह	गोपालगंज	सासाराम, रोहतास	हुसैनगंज, सिवान
11	श्री हरिचन्द्र भगत	सीतामढ़ी	दण्डखोरा, कटिहार	विस्फी, मधुबनी

उपर्युक्त सभी कर्मियों का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः नये पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

जापांक-प्र03- स्था0-02-06/2014 3947 खाद्य, पटना/दिनांक- 30/06/2014

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिला पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/ जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/ सम्बन्धित जिला

आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव एवं सम्बन्धित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सभी सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारियों से आग्रह है कि स्थानांतरित पदाधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था के तहत एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित करेंगे एवं नव पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों के योगदान/प्रभार ग्रहण की सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

Omj
3/6/14

सरकार के उप सचिव ।